

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3775 / 2022


दिनांक 08.12.2022

श्रीमती योगिता पारीक (RJ0646), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), उदयपुर को दिनांक 31.10.2022 से 01.11.2022 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती पारीक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-05, उदयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), उदयपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से,


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
7.12.22

क्रमांक:-स्था.बी.2(4) / 14 / 2011 / 0336

दिनांक 08.12.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 6606 दिनांक 02.11.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती योगिता पारीक (RJ0646), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), उदयपुर।
4. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), उदयपुर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-05, उदयपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार